

ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका: लोकतंत्र, सुशासन और ग्रामीण विकास का अध्ययन

डॉ. गौरी सिंह परते

सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग)

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मण्डला (म.प्र.)

E-mail : Parte1980.2011@gmail.com

सारांश : भारत में ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को शासन की प्रक्रिया में सहभागी बनाना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की योजना तैयार करना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख सरपंच की भूमिका इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सरपंच ग्रामसभा, पंचायत सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीण समुदाय के बीच समन्वय स्थापित करता है। उसके नेतृत्व, निर्णय क्षमता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का प्रभाव पंचायत के कार्यों तथा ग्रामीण विकास की दिशा पर पड़ता है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका का लोकतंत्र, सुशासन और ग्रामीण विकास के संदर्भ में अध्ययन करना है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामसभा, स्थानीय नियोजन, सामाजिक न्याय, महिला सहभागिता, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पंचायतों के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सरपंच की प्रभावशीलता केवल उसके व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वित्तीय संसाधनों, प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण, ग्रामसभा की सक्रियता और संस्थागत पारदर्शिता से भी जुड़ी होती है। निष्कर्षतः लोकतांत्रिक, जवाबदेह और जनभागीदारी पर आधारित पंचायत व्यवस्था ग्रामीण विकास को अधिक समावेशी एवं टिकाऊ बनाने में सहायक हो सकती है।

मुख्य शब्द: ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायती राज, लोकतंत्र, सुशासन, ग्रामीण विकास, ग्रामसभा, जनभागीदारी।

1. प्रस्तावना :- भारत की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना में गाँवों का विशेष स्थान है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, लघु उद्योग, पारंपरिक व्यवसाय और सामुदायिक जीवन आजीविका के प्रमुख आधार रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने ग्रामीण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पेयजल, स्वच्छता तथा आधारभूत संरचना के विकास जैसी अनेक चुनौतियाँ थीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए ऐसी शासन व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें स्थानीय नागरिक अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान में प्रत्यक्ष भागीदारी कर सकें। इसी दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रमुख संस्था है। यह गाँव के विकास, सार्वजनिक सुविधाओं, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रमुख को सामान्यतः सरपंच कहा जाता है। सरपंच का दायित्व केवल पंचायत बैठकों की अध्यक्षता करना नहीं है, बल्कि ग्रामसभा को सक्रिय बनाना, पंचायत सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना, विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना और सार्वजनिक संसाधनों के उत्तरदायी उपयोग को सुनिश्चित करने में योगदान देना भी है।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। इसके अंतर्गत पंचायतों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान जोड़े गए तथा नियमित चुनाव, आरक्षण और राज्य वित्त आयोग जैसी व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। संविधान के भाग

IX में पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 243G राज्यों को पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ और उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए कानून बनाने का आधार देता है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित 29 विषय सूचीबद्ध हैं। इन विषयों में कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हालाँकि, संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हो जाने मात्र से स्थानीय स्वशासन पूरी तरह प्रभावी नहीं हो जाता। पंचायतों को वास्तविक अधिकार, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित प्रतिनिधि और सक्रिय नागरिक सहभागिता की आवश्यकता होती है। अनेक परिस्थितियों में सरपंच को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, सीमित बजट, स्थानीय मतभेदों और सामाजिक असमानताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरपंच की भूमिका का अध्ययन लोकतंत्र, सुशासन और ग्रामीण विकास के परस्पर संबंधों को समझने के लिए आवश्यक है।

2. साहित्य समीक्षा :- पंचायती राज व्यवस्था पर उपलब्ध साहित्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय नेतृत्व, ग्रामीण विकास, महिला प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विभिन्न समितियों, सरकारी दस्तावेजों तथा अकादमिक अध्ययनों ने स्थानीय स्वशासन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। इस अध्ययन ने स्थानीय स्तर पर निर्वाचित संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को संचालित करने की अवधारणा को महत्व प्रदान किया। इसके बाद अशोक मेहता समिति ने 1978 में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। एल. एम. सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने तथा ग्रामसभा को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संविधान का 73वाँ संशोधन स्थानीय स्वशासन के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने पंचायतों के नियमित चुनाव, आरक्षण और संस्थागत निरंतरता के लिए संवैधानिक आधार उपलब्ध कराया। फिर भी पंचायतों को वास्तविक अधिकारों और संसाधनों का हस्तांतरण राज्यों के कानूनों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। राघवेंद्र चट्टोपाध्याय और एस्थर डुप्लो के 2004 के अध्ययन ने भारत में महिला नेतृत्व के प्रभाव का विश्लेषण किया। उनके शोध से संकेत मिलता है कि महिला प्रतिनिधित्व के अवसर मिलने पर स्थानीय सार्वजनिक निवेश और प्राथमिकताओं में परिवर्तन आ सकता है। यह अध्ययन पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को केवल प्रतिनिधित्व का विषय न मानकर निर्णय प्रक्रिया और विकास प्राथमिकताओं से जोड़कर देखने में सहायक है।

विकेंद्रीकरण पर डेनिस रॉडिनेली, जॉन नेलिस और जी. शब्बीर चीमा के कार्य में प्रशासनिक तथा संस्थागत विकेंद्रीकरण के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। अमर्त्य सेन की पुस्तक Development as Freedom विकास को केवल आय वृद्धि तक सीमित न रखते हुए मानवीय क्षमताओं, अवसरों और स्वतंत्रताओं के विस्तार से जोड़ती है। इस दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का मूल्यांकन केवल निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन में आए वास्तविक सुधार के आधार पर भी किया जाना चाहिए। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ स्थानीय नेतृत्व, नागरिक सहभागिता, वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक क्षमता आवश्यक हैं। प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं पहलुओं को सरपंच की भूमिका के संदर्भ में एकीकृत रूप से समझने का प्रयास करता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य :- प्रस्तुत शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. ग्राम पंचायत में सरपंच की संवैधानिक एवं प्रशासनिक भूमिका का अध्ययन करना।
2. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय जनभागीदारी में सरपंच के योगदान का विश्लेषण करना।
3. सुशासन के प्रमुख सिद्धांतों—पारदर्शिता, जवाबदेही, सहभागिता और प्रभावशीलता—के संदर्भ में सरपंच की भूमिका को समझना।
4. ग्रामीण विकास योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में सरपंच के योगदान का अध्ययन करना।
5. महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों की भागीदारी से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण करना।
6. सरपंच के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
7. ग्राम पंचायतों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुख बनाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध-पद्धति :- यह शोध-पत्र वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण या साक्षात्कार के माध्यम से नए आँकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें भारतीय संविधान, पंचायती राज से संबंधित सरकारी अधिनियम, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट, पंचायती राज मंत्रालय के दस्तावेज, ग्रामीण विकास से संबंधित सरकारी सामग्री तथा विषय से संबंधित प्रकाशित शोध-अध्ययन शामिल हैं। अध्ययन में सरपंच की भूमिका को तीन प्रमुख आयामों—लोकतंत्र, सुशासन और ग्रामीण विकास—के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्र के अंतर्गत ग्रामसभा, प्रतिनिधित्व और नागरिक सहभागिता को महत्व दिया गया है। सुशासन के अंतर्गत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नियमों का पालन, शिकायत निवारण और सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग का विश्लेषण किया गया है। ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्थानीय नियोजन, आधारभूत सुविधाएँ, आजीविका, सामाजिक कल्याण तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है। यह अध्ययन किसी एक ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। इसलिए इसमें प्रस्तुत निष्कर्षों को सभी ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष सांख्यिकीय प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। इनका उद्देश्य उपलब्ध साहित्य और संस्थागत प्रावधानों के आधार पर सरपंच की भूमिका तथा उससे संबंधित चुनौतियों को समझना है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सरपंच की भूमिका :- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन से संबंधित शक्तियों, जिम्मेदारियों और निर्णय प्रक्रिया को स्थानीय स्तर तक पहुँचाना। ग्राम पंचायत इस प्रक्रिया की प्रमुख संस्था है। सरपंच निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण स्थानीय समस्याओं को पंचायत की कार्यवाही और विकास योजनाओं में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरपंच गाँव में पेयजल, सड़क, नाली, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को पंचायत के समक्ष रख सकता है। वह पंचायत सदस्यों तथा संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके समाधान की दिशा में प्रयास करता है। इस प्रकार स्थानीय समस्याओं का समाधान शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप करने के बजाय ग्रामीण आवश्यकताओं के आधार पर करने की संभावना बढ़ती है। हालाँकि, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अभी प्रभावी होता है जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हों। यदि निर्णय लेने, बजट उपयोग करने या योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत की स्वतंत्रता सीमित हो, तो सरपंच की भूमिका भी प्रभावित होती है। इसलिए अधिकार, कार्य और वित्तीय संसाधनों का उचित हस्तांतरण आवश्यक है।

ग्रामसभा और जनभागीदारी :- ग्रामसभा पंचायती राज व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। संबंधित राज्य के कानून के अनुसार ग्रामसभा में गाँव के पंजीकृत मतदाताओं की भागीदारी होती है। ग्रामसभा स्थानीय आवश्यकताओं पर चर्चा, विकास प्राथमिकताओं के निर्धारण तथा पंचायत के कार्यों की समीक्षा का मंच प्रदान करती है। सरपंच का दायित्व है कि वह ग्रामसभा की बैठकों को प्रभावी बनाने में योगदान दे। बैठकों की सूचना समय पर देना, एजेंडा स्पष्ट रखना, विकास कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करना तथा ग्रामीणों को अपनी समस्याएँ रखने का अवसर देना इस दिशा में उपयोगी कदम हैं। ग्रामसभा के माध्यम से ग्रामीण नागरिक यह समझ सकते हैं कि पंचायत किन कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। यदि ग्रामसभा केवल औपचारिक बैठक बनकर रह जाए, तो जनभागीदारी सीमित हो जाती है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरपंच को ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति बिना भय या भेदभाव के अपनी बात रख सके।

सुशासन और पारदर्शिता :- सुशासन का आशय ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी, प्रभावी और कानून के अनुरूप कार्य करे। ग्राम पंचायत के संदर्भ में सुशासन का अर्थ है कि विकास कार्यों की योजना स्पष्ट हो, सार्वजनिक धन का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाए तथा नागरिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। सरपंच पंचायत के निर्णयों, स्वीकृत कार्यों, उपलब्ध संसाधनों और कार्यों की प्रगति की जानकारी सार्वजनिक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पंचायत की बैठकों के अभिलेखों का उचित रखरखाव, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी, नियमानुसार सामाजिक अंकेक्षण तथा शिकायतों पर कार्रवाई पारदर्शिता को मजबूत कर सकते हैं। पारदर्शिता केवल सूचना प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं है। नागरिकों को जानकारी समझ में आना और आवश्यकता पड़ने पर उसका सत्यापन कर पाना भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल माध्यमों का उपयोग उपयोगी हो सकता है, लेकिन जिन ग्रामीणों के पास

इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल साक्षरता की सुविधा नहीं है, उनके लिए सूचना के वैकल्पिक माध्यम भी उपलब्ध रहने चाहिए।

5. ग्रामीण विकास में योगदान : - ग्रामीण विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें आर्थिक अवसरों का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान कर विकास संबंधी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में योगदान देती है। सरपंच की भूमिका स्थानीय समस्याओं को समझने, पंचायत सदस्यों से विचार-विमर्श करने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बस्ती में पेयजल की समस्या है, तो पंचायत उपलब्ध संसाधनों और संबंधित योजनाओं के आधार पर समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। इसी प्रकार स्वच्छता, जल संरक्षण, सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास में पंचायत की भूमिका हो सकती है। विकास कार्यों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कितने कार्य स्वीकृत हुए या कितनी राशि खर्च हुई। यह देखना भी आवश्यक है कि कार्यों से ग्रामीणों को वास्तविक लाभ मिला या नहीं, परिसंपत्तियाँ उपयोगी बनी हुई हैं या नहीं और उनका रखरखाव हो रहा है या नहीं। सरपंच को स्थानीय आवश्यकताओं और दीर्घकालीन लाभों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए।

महिला नेतृत्व और सामाजिक समावेशन :- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक आरक्षण की व्यवस्था प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्यों द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण का स्तर संवैधानिक न्यूनतम से अधिक भी निर्धारित किया जा सकता है। इन व्यवस्थाओं ने स्थानीय राजनीति में विविध सामाजिक समूहों की भागीदारी के अवसर बढ़ाए हैं। महिला सरपंचों का नेतृत्व ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं, सार्वजनिक सुविधाओं और सामाजिक समस्याओं पर चर्चा को नई दिशा दे सकता है। किंतु प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए केवल पद प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है। महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक जानकारी, वित्तीय प्रक्रियाओं, कानूनी प्रावधानों और योजनाओं के संचालन का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए संस्थागत सहयोग और सामाजिक सम्मान भी आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित समूहों की समस्याओं को पंचायत की योजनाओं में उचित स्थान देना आवश्यक है। सरपंच को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे।

सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन :- ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सरकारी योजनाएँ पंचायतों के माध्यम से या उनके सहयोग से संचालित होती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य रोजगार, आवास, स्वच्छता, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना हो सकता है। सरपंच पात्रता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने, स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करने, ग्रामसभा में प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने में योगदान दे सकता है। हालाँकि, प्रत्येक योजना के अंतर्गत पंचायत और सरपंच की शक्तियाँ समान नहीं होतीं। कार्यों का चयन, स्वीकृति, भुगतान, तकनीकी परीक्षण और निगरानी संबंधित कानूनों तथा योजना-निर्देशों के अनुसार होते हैं। इसलिए सरपंच के लिए यह आवश्यक है कि वह योजना के नियमों को समझे और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करे। योजनाओं की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार पात्र लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुँचाना है। आवेदन प्रक्रिया में सहायता, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी और शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुँचाना ग्रामीणों की कठिनाइयों को कम कर सकता है। साथ ही लाभार्थियों के चयन और सार्वजनिक धन के उपयोग में निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है।

जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास :- जवाबदेही का अर्थ है कि सार्वजनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति अपने निर्णयों और कार्यों के संबंध में निर्धारित संस्थाओं तथा नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। सरपंच का पद सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए उसे पंचायत के निर्णयों, व्यय और विकास कार्यों के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। पंचायत के अभिलेखों का रखरखाव, बैठक की कार्यवाही दर्ज करना, वित्तीय नियमों का पालन, आवश्यक लेखा-परीक्षण और शिकायतों पर उचित कार्रवाई जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। जहाँ कानून या योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है, वहाँ उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में सहयोग करना चाहिए। सार्वजनिक विश्वास तब मजबूत होता है जब ग्रामीणों को यह अनुभव होता है कि उनकी समस्याएँ सुनी जाती हैं और

निर्णय निष्पक्ष रूप से लिए जाते हैं। सरपंच को व्यक्तिगत संबंधों या राजनीतिक मतभेदों के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं और योजनाओं के वितरण में भेदभाव से बचना चाहिए।

चर्चा एवं विश्लेषण :- अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि ग्राम पंचायत में सरपंच की भूमिका लोकतंत्र, सुशासन और ग्रामीण विकास के बीच सेतु का कार्य करती है। लोकतंत्र सरपंच को वैध जनप्रतिनिधित्व प्रदान करता है, सुशासन उसके कार्यों को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का आधार देता है तथा ग्रामीण विकास इन प्रयासों के व्यावहारिक परिणामों से संबंधित है। इन तीनों आयामों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। पहला महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधित्व और वास्तविक जनभागीदारी में अंतर हो सकता है। चुनाव के माध्यम से सरपंच का चयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, किंतु लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात पर भी निर्भर करती है कि ग्रामसभा में ग्रामीणों को कितनी प्रभावी भागीदारी मिलती है। यदि नागरिकों को निर्णयों की जानकारी न मिले या उनकी समस्याओं पर विचार न किया जाए, तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। दूसरा पक्ष प्रशासनिक क्षमता से संबंधित है। पंचायतों में योजनाओं, बजट, लेखांकन, तकनीकी स्वीकृति और डिजिटल प्रणालियों से जुड़े कार्यों के लिए विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को इन विषयों का पर्याप्त प्रशिक्षण न मिले, तो निर्णय प्रक्रिया धीमी हो सकती है और प्रशासनिक निर्भरता बढ़ सकती है। इसलिए नियमित प्रशिक्षण, सरल मार्गदर्शिका और तकनीकी सहायता आवश्यक हैं। तीसरा पक्ष वित्तीय संसाधनों का है। पंचायतों की विकास संबंधी जिम्मेदारियाँ तभी प्रभावी रूप से निभाई जा सकती हैं जब उनके पास पर्याप्त और समय पर उपलब्ध संसाधन हों। यदि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप धन उपलब्ध न हो, तो सरपंच के लिए प्राथमिकताओं को लागू करना कठिन हो जाता है। अतः कार्यों, वित्त और कर्मचारियों से संबंधित अधिकारों के बीच संतुलन आवश्यक है।

चौथा पक्ष सामाजिक संरचना से जुड़ा है। ग्रामीण समाज में जाति, वर्ग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर असमानताएँ मौजूद हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में ग्रामसभा में सभी समूहों की समान भागीदारी स्वतः सुनिश्चित नहीं होती। सरपंच को कमजोर वर्गों की आवाज सुनने, भेदभाव से बचने और निर्णय प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। पाँचवाँ पक्ष तकनीक के उपयोग का है। डिजिटल अभिलेख, ऑनलाइन भुगतान, सरकारी पोर्टल और सूचना प्रणालियाँ पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। लेकिन तकनीक का लाभ तभी व्यापक होगा जब डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट सुविधा और तकनीकी सहायता उपलब्ध हों। इसलिए डिजिटल व्यवस्था के साथ प्रत्यक्ष संवाद और सूचना के ऑफलाइन माध्यम भी बनाए रखना आवश्यक है। इस प्रकार सरपंच की प्रभावशीलता केवल व्यक्तिगत ईमानदारी या नेतृत्व क्षमता पर निर्भर नहीं करती। उसके कार्यों पर संवैधानिक व्यवस्था, राज्य के पंचायत कानून, वित्तीय उपलब्धता, प्रशासनिक सहयोग, स्थानीय सामाजिक संबंध और नागरिक सहभागिता का भी प्रभाव पड़ता है। प्रभावी पंचायत व्यवस्था के लिए इन सभी पक्षों को एक साथ मजबूत करना आवश्यक है।

6. निष्कर्ष :- ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र की जमीनी इकाई है और सरपंच इस संस्था का एक महत्वपूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधि है। उसकी भूमिका स्थानीय समस्याओं को सामने लाने, ग्रामसभा को सक्रिय बनाने, पंचायत सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करने और ग्रामीण विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण होती है। सरपंच लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को व्यवहार में उतारने तथा शासन और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करने में योगदान देता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रभावी पंचायत व्यवस्था के लिए केवल चुनाव और संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं। ग्रामसभा की सक्रियता, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक सहयोग, प्रशिक्षण और नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक हैं। महिला प्रतिनिधियों तथा सामाजिक रूप से कमजोर समूहों की सार्थक भागीदारी लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती है। ग्रामीण विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुविधाओं का निर्माण नहीं, बल्कि ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, अवसरों और सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना है। इसलिए पंचायत के कार्यों का मूल्यांकन उनके वास्तविक सामाजिक प्रभाव, उपयोगिता और स्थायित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। निष्कर्षतः, जब सरपंच अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शिता, निष्पक्षता, सहभागिता और उत्तरदायित्व के साथ करता है तथा उसे संस्थागत सहयोग और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते हैं, तब ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

अध्ययन की सीमाएँ :- प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इसमें किसी विशिष्ट ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण, साक्षात्कार या प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह नहीं किया गया है। इसलिए अध्ययन से प्राप्त

निष्कर्षों को सभी ग्राम पंचायतों की परिस्थितियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायतों से संबंधित कानून, वित्तीय व्यवस्थाएँ, प्रशासनिक अधिकार और कार्यप्रणाली अलग-अलग हो सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों में भी पर्याप्त विविधता है। इस कारण सरपंच की वास्तविक भूमिका और कार्यक्षमता स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। भविष्य में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की चयनित ग्राम पंचायतों का तुलनात्मक अध्ययन, सरपंचों और ग्रामीण नागरिकों के साक्षात्कार तथा पंचायतों के बजट और विकास कार्यों के विश्लेषण से इस विषय पर अधिक विस्तृत निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।

सुझाव :- नियमित प्रशिक्षण: सरपंचों और पंचायत सदस्यों को पंचायत कानून, वित्तीय प्रबंधन, विकास योजनाओं, डिजिटल प्रणालियों और अभिलेखों के रखरखाव का नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए-

1. ग्रामसभा को प्रभावी बनाना: ग्रामसभा की बैठकें नियमानुसार आयोजित की जाएँ। ग्रामीणों को समय पर सूचना दी जाए और महिलाओं तथा वंचित समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
2. वित्तीय सशक्तीकरण: पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने तथा धनराशि के समय पर हस्तांतरण की व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए।
3. पारदर्शिता सुनिश्चित करना: पंचायत के विकास कार्यों, स्वीकृत योजनाओं, उपलब्ध बजट और व्यय संबंधी जानकारी को नियमों के अनुसार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो, सूचना सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए।
4. सामाजिक अंकेक्षण और जवाबदेही: लागू नियमों के अनुसार लेखा-परीक्षण, सामाजिक अंकेक्षण तथा शिकायत निवारण की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
5. महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन: महिला सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतंत्र निर्णय लेने, प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करने तथा नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए संस्थागत सहयोग दिया जाना चाहिए।
6. सामाजिक न्याय: पंचायत की योजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं तक पात्र नागरिकों की समान पहुँच सुनिश्चित की जाए। जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक मतभेद के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
7. विभागीय समन्वय: सरपंच, पंचायत सचिव, जनपद पंचायत, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच नियमित संवाद तथा स्पष्ट कार्य-विभाजन की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन: विकास योजनाओं का निर्धारण ग्रामसभा में व्यक्त आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
9. विकास कार्यों की गुणवत्ता: कार्यों की निगरानी, परिसंपत्तियों के रखरखाव और योजनाओं के वास्तविक लाभों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि विकास का लाभ दीर्घकाल तक बना रहे।
10. डिजिटल और ऑफलाइन सुविधाएँ: पंचायतों में डिजिटल अभिलेखों और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही तकनीकी सुविधा से वंचित नागरिकों के लिए प्रत्यक्ष सहायता और ऑफलाइन सूचना की व्यवस्था भी बनी रहे।
11. भविष्य के शोध को प्रोत्साहन: विभिन्न राज्यों और सामाजिक परिस्थितियों में सरपंच की भूमिका का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाना चाहिए, ताकि नीतिगत निर्णयों के लिए विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत सरकार। (1992)। संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992। नई दिल्ली: भारत सरकार।
2. भारत सरकार। (संस्करणानुसार)। भारत का संविधान। नई दिल्ली: विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
3. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष)। वार्षिक प्रतिवेदन। नई दिल्ली: भारत सरकार।
4. भारत सरकार। (1957)। बलवंत राय मेहता अध्ययन दल का प्रतिवेदन: सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा। नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. भारत सरकार। (1978)। अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन: पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए सुझाव। नई दिल्ली: भारत सरकार।
6. भारत सरकार। (1986)। एल. एम. सिंघवी समिति का प्रतिवेदन: लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। नई दिल्ली: भारत सरकार।

7. भारत सरकार। (1988)। पी. के. थुंगन समिति का प्रतिवेदन: जिला स्तर पर योजना निर्माण एवं पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण से संबंधित सुझाव। नई दिल्ली: भारत सरकार।
8. भारत सरकार। (1993)। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। नई दिल्ली: भारत सरकार।
9. योजना आयोग, भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष)। भारत में ग्रामीण विकास एवं विकेंद्रीकृत नियोजन संबंधी दस्तावेज। नई दिल्ली: भारत सरकार।
10. चट्टोपाध्याय, रघुबेदर एवं दुफ्लो, एस्थर। (2004)। नीति-निर्माता के रूप में महिलाएँ: भारत में एक नीतिगत प्रयोग से प्राप्त साक्ष्य। इकोनोमेट्रिका, 72(5), 1409–1443। मूल शीर्षक: "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India." DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x>
11. रॉडिनेली, डेनिस ए., नेलिस, जॉन आर. एवं चीमा, जी. शब्बीर। (1983)। विकासशील देशों में विकेंद्रीकरण: हाल के अनुभवों की समीक्षा। विश्व बैंक कर्मचारी शोध-पत्र संख्या 581। वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
12. सेन, अमर्त्य। (1999)। विकास के रूप में स्वतंत्रता। न्यूयॉर्क: अल्फ्रेड ए. नॉफ। मूल शीर्षक: "Development as Freedom."
13. विश्व बैंक। (1992)। शासन और विकास। वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक। मूल शीर्षक: "Governance and Development."
14. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। (1997)। शासन और सतत मानव विकास। न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मूल शीर्षक: "Governance for Sustainable Human Development."
15. भारत सरकार, विधायी विभाग। (विभिन्न वर्ष)। इंडिया कोड: भारतीय कानूनों का डिजिटल संग्रह। नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय। <https://www.indiacode.nic.in/>
16. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष)। पंचायतों के विकेंद्रीकरण और सशक्तीकरण से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज। नई दिल्ली: भारत सरकार। <https://panchayat.gov.in/>
17. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। (विभिन्न वर्ष)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं इसके क्रियान्वयन से संबंधित दस्तावेज। नई दिल्ली: भारत सरकार। <https://rural.gov.in/>
18. मध्य प्रदेश शासन। (प्रचलित संशोधनों सहित)। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993। भोपाल: मध्य प्रदेश शासन।